Yes, Sir. Adequate coal supplies to power houses of Gujarat State Electricity Board have been made available and there has been perceptible improvement in stock position in all the power houses of GEB as illustrated in the following table:—

(Fig. Qty. in '000 tonnes)

| Power House | Stock as on 1.4.96 | | Stock as on 1.4.97 | | Stock as on 1.4.98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qut. | No. of days | Qty. | No. of days | Qty. | No. of days |
| Gujarat | | | | | | |
| Sikka | 0 | 0 | 9 | 3 | 159 | 64 |
| Ukai | 4 | 0 | 40 | 4 | 205 | 21 |
| Gandhinagar | 4 | 1 | 41 | 5 | 420 | 51 |
| Wankbori | 20 | 1 | 134 | 8 | 433 | 24 |

(d) Does Not arise.

**विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु योजना**

***289. श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सभी मंत्रालयों के साथ समन्वय और परामर्श करने के उपरांत अब तक कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल, संचार तथा उद्योग मंत्रालयों के सहयोग से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अधिक कारगर सिद्ध होगी; और

(घ) गुजरात के उन विकलांग व्यक्तियों की वर्ष-वार संख्या कितनी-कितनी है, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा आगामी तीन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी):** (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिये)

(घ) गुजरात सरकार से सूचना मांगी गई है।

**विवरण**

(क) से (ग) सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की हैं:—

(1) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 में एक प्रावधान है कि उचित सरकार प्रत्येक स्थापना में तीन प्रतिशत से कम विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं करेगी जिसमें से निम्नलिखित प्रत्येक से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचान किए पद में 1% का आरक्षण होगा:—

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि,

(ख) श्रवण विकलांगता, तथा

(ग) चलने संबंधी (लोकोमोटर) विकलांगता या प्रमस्तिष्क अंगघात।

इस कानून के लागू होने से पहले से ही समूह "ग" तथा "घ" में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण था। इस प्रावधान के अनुसरण में, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह "क" तथा "ख" में 3% आरक्षण के विस्तार के लिए दृष्टि, श्रवण तथा अस्थि विकलांगता प्रत्येक में एक प्रतिशत आरक्षण के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र संख्या 36035/16/91—स्थापना (एस०सी०टी०) दिनांक 18.2.1997 के तहत अधिसूचित किया गया है। रेलवे, संचार तथा उद्योग मंत्रालयों सहित सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस आरक्षण का पालन करना है। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय भी इस मामले में कार्रवाई कर रहा है।

2. विकलांग व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार पाने में सहायता देने के लिए अनन्य रूप से 50 विशेष रोजगार कार्यालय तथा 39 विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य रोजगार कार्यालय भी

उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों को सहायता करते हैं।

## राज्य व्यापार निगम में अनियमितताएं

*290. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के अधिकारी तथा कतिपय निदेशक कुछ निर्यातकों के प्रति पक्षपात करते पाये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकार को भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) सरकार को इस कारण कितनी हानि हुई है तथा यह सच है कि हाल ही में यूरिया, खाद्य तेल और अन्य वस्तुओं के आयात में अनेक अनियमितताएं तथा वित्तीय धोखाधड़ी की गई है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाये गये है/उठाये जाने का विचार है?

**वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98 में यूरिया सौदे में एस० टी० सी० की भूमिका की जांच सी० बी० आई० द्वारा की गई थी जिसने सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद इस मामले को समाप्त कर दिया।

वर्ष 1998-99 में गेहूं के आयात में किसी कथित अनियमितता के लिए एस० टी० सी० की भूमिका की सी० बी०सी० / सी०बी०आई० जांच चल रही है।

## Financial and Development Corporations for SCs and STs

*291. **CHAUDHARY CHUNNI LAL:** Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) the number of Financial and Development Corporations for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes that are functioning in the country, alongwith their position State-wise;

(b) how much funds have been earmarked, disposed and unutilised, so far;

(c) the number of beneficia were extended financial assist these Corporations; and

(d) what actually the National F. and Development Corporation Scheduled Castes is doing at pres brief and what work has been done

THE MINISTER OF STATE OF T. MINISTRY OF SOCIAL JUSTIC. AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) 24 Scheduled Caste and Finance Development Corporations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are functioning in the country. The State/Union Territories wise position is as given in Statement (*See* below),

(b) Since the inception of the scheme, an amount of Rs. 748.82 crores has been released to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Corporations so far.

(c) These corporations have extended assistance to 96.49 lakhs beneficiaries since 1980.

(d) A brief note of NSFDC is as under:

NSFDC has been established as a Government Company, not for profit under Section 25 of the Companies Act, 1956, on 8th February, 1989. The authorised as well as paid-up share capital of the Corporation is Rs. 300 crores as on date is entirely held by the Goverment of India.

*Objectives:* The main objective of the Corporation is to accelerate economic growth and development of the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes whose annual income is below double the proverty line income criteria, NSFDC is assisting the target group by providing necessary funds at concessional rates through State level Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporations and other channelising agencies for implementing various technically feabible and financially viable schemes/projects, promoting business and entrepreneurial abilities of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.